न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 104/2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 6.4.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

श्रीमति सुमित्रा बाई पत्नी नारायण सिंह जाति गूर्जर निवासी आसलपुर तहसील अकलेरा जिला झालावाड–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 22.5.2024

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा आदेश कमांक (प2)/राजस्व/2021/2301 दिनांक 2.12.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन ओदश) के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा ग्राम आसलपुर तह0 अकलेरा के ख0 नं0 119 की 1050 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (गैस गोदाम हेतु) संपरिवर्तन हेतु प्रा0 पत्र जिला कलक्टर झालावाड के यहां पेश किया गया। जिसे बाद जांच प्रस्ताव प्रस्तावित भूमि पर पहुचने हेतु ख0 नं0 130 व 1227/122 गैर मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है जिसकी चौडाई अलग–अलग स्थान पर कही 26 फीट, कही 32 , 39 एंव 13 फीट होने से राजस्व (ग्रुप–9) विभाग द्वारा जारी परिपत्र प.2(14)राज/9/2019 जयपुर दिनांक 17.9.2019 के अनुसरण मे भूमि तक पहुचने के लिये न्यूनतम 30 फीट चौडाई का रास्ता नही होने से अपीलाटा का प्रार्थना आदेश कमांक (प2)/राजस्व/2021/2301 दिनांक 2.12.2021 से खारिज किया गया। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाटा ने अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पहुचने का रास्ता गैर मु.रास्ता खसरा नम्बर 130 व 1227/122 मे होकर दर्ज रेकार्ड था, जिसमे 4 पहिया वाहन सुगमता से आ जा सकते है परन्तु जिला कलक्टर ने इस बिन्दू पर गौर नही कर तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है।जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 8.11.2021 को अपीलाटा को परिपत्र दिनांक 17.9.2019 के अनुरूप 30 फीट चौडाई के रास्ते के लिये भूमि समर्पण कराने के लिये लिखा गया था जिसका अपीलांटा द्वारा दिनांक 24.11.2021 को प्रस्तुत जवाब मे वर्णित किया था कि चार पहिया वान सुगमता से आ जा सकते है इसलिये प्रस्तावित भूमि का संपरिवर्तन किया जावे। लेकिन उनके द्वारा केवल परिपत्र को आधार मानते हुये प्रार्थना

पत्र खारिज कर दिया जो अवैधानिक है। रास्ते के लिये कुछ भूमि कम पडती है तो उसके लिये भूमि का समर्पण कराने को अपीलाटा तैयार है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर झालावाड का आदेश दिनांक 2.12.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण रास्ते के लिये कमी भूमि का समर्पण करने की स्थिति मे अपीलांटा के संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर पुनः न्यायोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण जिला कलक्टर झालावाड को रिमांड (प्रतिप्रेषित) किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि जिला कलक्टर झालावाड का आदेश तकनीकी आधार पर पारित किये जाने से अवैधानिक है अतः निरस्त किया जावे, क्योंकि अपीलाटा रास्ते के लिये कमी भूमि का समर्पण करने को तैयार है ऐसी स्थिति मे रास्ते के लिये कमी भूमि का समर्पण करने की स्थिति मे अपीलांटा के संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर पुनः न्यायोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण जिला कलक्टर झालावाड को रिमांड (प्रतिप्रेषित) किया जावे।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि जेरअपील राज्य सरकार के परिपत्र 17.9.2019 के परिपेक्ष्य मे पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा ग्राम आसलपुर तह0 अकलेरा के ख0 नं0 119 की 1050 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (गैस गोदाम हेतु) संपरिवर्तन हेतु प्रा0 पत्र जिला कलक्टर झालावाड के यहां पेश किया गया। जिसे उपखण्ड अधिकारी के बाद जांच प्रस्ताव, प्रस्तावित भूमि पर पहुचने हेतु ख0 नं0 130 व 1227/122 गैर मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड हे जिसकी चौडाई अलग–अलग स्थान पर कही 26 फीट, कही 32 , 39 एंव 13 फीट होने से राजस्व (ग्रुप–9) विभाग द्वारा जारी परिपत्र प. 2(14)राज/9/2019 जयपुर दिनांक 17.9.2019 के अनुसरण मे भूमि तक पहुचने के लिये न्यूनतम 30 फीट चौडाई का रास्ता नही होने से अपीलाटा का प्रार्थना पत्र आदेश कमांक (प2)/राजस्व/2021/2301 दिनांक 2.12.2021 से खारिज किया है। हस्तगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि जिला कलक्टर झालावाड द्वारा आलौच्य जेरअपील आदेश दिनांक 2.12.2021 तकनीकी आधार पर पारित किया गया है जो अवैधानिक है। अपीलाटा रास्ते के लिये कमी भूमि का समर्पण करने को तैयार है ऐसी स्थिति मे रास्ते के लिये कमी भूमि का समर्पण करने की स्थिति मे अपीलांटा के संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर पुनः न्यायोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण जिला कलक्टर झालावाड को रिमांड किया जावे। अपीलांटा के उपरोक्त तर्क के परिपेख्य मे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 17.9.2019 के अनुसरण मे प्रार्थना पत्र तकनीकी आधार पर खारिज किया है। सहज न्याय के दृष्टिगत अपीलाटा रास्ते के लिये कमी भूमि का समर्पण करने को तैयार होने की स्थिति मे अपीलांटा के संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर न्यायोचित आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर झालावाड द्वारा पारित आदेश कमांक (प2) /राजस्व/2021/ 2301 दिनांक 2.12.2021 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाटा रास्ते के लिये कमी भूमि का समर्पण करने को तैयार होने की स्थिति मे अपीलांटा के संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर न्यायोचित आदेश पारित किया जावे।

7 निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा